



दिनांक 12.11.2022

प्रेस विज्ञप्ति 12/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना खुटार

- 15—15 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 12.11.2022 को थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरकलीगंज मोड़ से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—नसतुल्ला 2—नबी अहमद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुटार पर पंजीकृत मु0अ0सं0—510/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित थे।

इस सम्बन्ध में थाना खुटार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नसतुल्ला निवासी बरकलीगंज थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।

2—नबी अहमद निवासी ग्राम केसरपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- पुलिस कार्यवाही 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी की घटना का अनावरण

- चोरी के लगभग 40 लाख रुपये कीमत के सोने—चाँदी के आभूषण

- चोरी के 70 हजार 972 रुपये नगद

- 03 अवैध तमंचा, 07 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 12.11.2022 को थाना कोतवाली उरई व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करमेर रोड अन्डर पास रेलवे कासिंग पुल के पास से

पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्तों 1-आबिद उर्फ मुन्ना 2-देवेन्द्र उर्फ कालिया 3-शनि 4-गजेन्द्र उर्फ गजेश 5-धर्मेन्द्र 6-रवि को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के लगभग 40 लाख रुपये कीमत के सोने-चाँदी के आभूषण, चोरी के 70 हजार 972 रुपये नगद, 03 अवैध तमंचा, 07 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरुद्ध जनपद झाँसी के विभिन्न थानों पर चोरी के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक: 09/10.11.2022 की रात्रि थाना कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0-599/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रुपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-आबिद उर्फ मुन्ना निवासी मोहल्ला प्रेमनगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।
- 2-देवेन्द्र उर्फ कालिया निवासी मोहल्ला राजेन्द्र नगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन, मूल निवास मीरा कालोनी भिण्ड थाना कोतवाली भिण्ड जनपद भिण्ड, म0प्र0।
- 3-शनि निवासी मोहम्मदाबाद थाना डकोर जनपद जालौन।
- 4-गजेन्द्र उर्फ गजेश निवासी बडोन कला थाना गोराघाट जनपद दतिया, म0प्र0।
- 5-धर्मेन्द्र निवासी मेरी थाना नवाबाद जनपद झाँसी हाल पता-भोजला थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी।
- 6-रवि निवासी रामनगर थाना उरई जनपद जालौन।

बरामदगी

1—चोरी के लगभग 40 लाख रूपये कीमत के सोने—चौदी के आभूषण।

2—चोरी के 70 हजार 972 रूपये नगद।

3—03 अवैध तमंचा, 07 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलां

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 25 लाख रूपये कीमत के लूटा गया ट्रक (कंटेनर) मय लूटे गये 128 रेफ्रिजरेटर बरामद

दिनांक: 11.11.2022 को थाना कोसीकलां व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जनपद नूह हरियाणा में मुरादबास गाँव सड़क से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के लूटा गया ट्रक (कंटेनर) मय लूटे गये 128 रेफ्रिजरेटर बरामद हुये। मौके से अभियुक्तगण फरार हो गये, प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान आज दिनांक 12.11.2022 को 02 अभियुक्तों 1—सलमान 2—साहिब को बस स्टैण्ड कोसीकलां से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सलमान के विरुद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त साहिब के विरुद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक: 09.11.2022 को थाना कोसीकलां क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा ट्रक मय 128 रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) लूटने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर घटना अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। बरामद ट्रक मय 128 रेफ्रिजरेटर उक्तघटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सलमान निवासी बिशम्भरा थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।
- 2—साहिब निवासी बिशम्भरा थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।

बरामदगी

- 1—लगभग 25 लाख रुपये कीमत के लूटा गया ट्रक (कंटेनर) मय लूटे गये 128 रेफ्रिजरेटर।

जनपद गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 38 हजार 200 रुपये नगद
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस
 - घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 11.11.2022 की रात्रि थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान वसुन्धरा रेलवे अण्डर पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—नमन 2—विवेक उर्फ विक्की घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 38 हजार 200 रुपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त विवेक उर्फ विक्की के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न

थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त नमन के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नमन निवासी शास्त्रीनगर थाना सराय रोहिल्ला, दिल्ली।

2—विवेक उर्फ विक्की निवासी निवासी शास्त्रीनगर थाना सराय रोहिल्ला, दिल्ली।

बरामदगी

1—38 हजार 200 रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद फतेहपुर/थाना ललौली

• पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 मोटर साइकिल

• 03 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 11.11.2022 की रात्रि थाना ललौली व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गौरी पुल बहुआ रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त जुल्फिकार उर्फ सुहेल 2—गौसुल बरा घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अन्य एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर

साइकिल, 03 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गौसुल बरा के विरुद्ध जनपद फतेहपुर, गुजरात प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, चोरी, आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त जुल्फिकार उर्फ सुहेल के विरुद्ध गुजरात प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ललौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जुल्फिकार उर्फ सुहेल निवासी करनपुर सौरई थाना सिराथू जनपद कौशांबी।

2—गौसुल बरा निवासी जहांगीर नगर गहुरा थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—03 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस ।

जनपद गाजियाबाद/थाना मोदीनगर

• पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 चोरी की स्कूटी

• 01 अवैध तमंचा मय जीवित व खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 11.11.2022 को थाना मोदीनगर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान तिबडा बम्बा से मानकी रोड के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त आस मोहम्मद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 स्कूटी, 01 अवैध तमंचा मय

जीवित व खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-आस मोहम्मद निवासी समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1-01 चोरी की स्कूटी।

2-01 अवैध तमंचा मय जीवित व खोखा कारतूस।

➤ जनपद मुरादाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 17 लाख 92 हजार 697 रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद मुरादाबाद पुलिस ने अभियुक्त मियां जान पुत्र अली जान निवासी थांवला रोड उत्तम नगर सहसपुर थाना बिलारी, मुरादाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 17 लाख 92 हजार 697 रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
